मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 209/2024

अरविन्द सुथार पुत्र साहबराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. साहबराम पुत्र हरजीराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लीलावन्ती पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री इन्द्रजीत जाति सुथार निवासी अबुबषहर तहसील व जिला सिरसा।
3. शारदा पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री मोहनलाल जाति सुथार निवासी वार्ड नम्बर 27, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कैलाश पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री विनोद कुमार जाति सुथार निवासी 22 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. गोमती देवी पत्नी श्री साहबराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. घोषणा

डिक्री दिनांक :– 12.08.2024

वादी की ओर से श्री निर्माण सिंह अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से कुन्दनलाल, विकास शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एंवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रति[illegible] सं[illegible] 1 साहबराम के नाम से चक नम्बर 8 आर.डब्ल्यु.डी. के वर्तमान [illegible] कुल 1.892 हैक्टर भूमि, इसी चक के खाता संख्या 47/49 में अंकित कुल 0.506 [illegible]र में 1/2 हिस्सा, इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:38:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 60/48 में अंकित कुल 0.455 हैक्टर में 1/2 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 58/46 में अंकित कुल 4.781 हैक्टर में 1/4 हिस्सा तथा चक नम्बर 10 आर डब्ल्यु.डी. के संयुक्त खाता संख्या 130/108 में अंकित कुल 2.681 हैक्टर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 8 आर.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 59/47, इसी चक के खाता संख्या 47/49, इसी चक के खाता संख्या 60/48, इसी चक के खाता संख्या 58/46 तथा चक नम्बर 10 आर.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 130/108 मे से प्रतिवादी संख्या 1 साहबराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		---
योग		योग	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:38:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner